

सं०सं०-म०नि०-5 बजट (1) 26/2024 22/10/24

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, मा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची / दिनांक 26/10/24

विषय-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय के तहत राज्य योजना वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत मो० 497.12 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजनान्तर्गत "वेद व्यास आवास योजना" के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो० 500.00 लाख रु० के तहत मो० 497.12 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार) रुपये मात्र के व्यय पर योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत मछुआरों के लिए कुल 260 पक्का आवास का निर्माण कराया जाएगा।

3. योजनान्तर्गत बजट उपबंध मो० 500.00 लाख रु० मात्र के अधीन स्वीकृत राशि मो० 497.12 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

(राशि लाख रु० में)

क	मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010169010545	261.00	260.032	0.968
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050078969010545	78.00	76.48	1.52
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079669010545	161.00	160.608	0.392
कुल		500.00	497.120	2.880

(कुल मो० चार करोड़ सन्तानवे लाख बारह हजार रुपये मात्र)

3/10/24

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक मत्स्य, झारखंड राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, गुमला, लोहरदगा, प0 सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा तथा गोड्डा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा, कोडरमा तथा पाकुड़ होंगे, जो कंडिका-11 में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।
6. योजना के कार्यान्वयन में आवास का निर्माण क्लस्टर में किया जाना है, अतः यथासंभव पूर्व में सृजित क्लस्टर के छूटे हुए लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा।
7. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा क्लस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।
8. इस योजना में लाभुक चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:
 कृषि प्रभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विन्डो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों अथवा आवश्यकता अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से लाभुकों का चयन किया जायेगा।
 i. सक्रिय अथवा परम्परागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हों।
 ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।
 iii. आवास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वाले मछुआओं को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।
 iv. प्रक्रियानुसार आवेदक दिव्यांगों हेतु स्वीकृत राशि का न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान जिलावार किया जायेगा।
 v. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। लाभुकों की अर्हता की जाँच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित मापदण्ड पर करेंगे।
9. इस योजना के तहत चयनित लाभुकों के आवासों का Geo Tagging कराना सुनिश्चित किया जाए।
10. (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण का कार्य लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। लाभुक आवश्यकता अनुसार छत ढलवां अथवा समतल रख सकते हैं। आवास निर्माण हेतु अधिकतम प्रति लाभुक मो0 1,91,200/-रु0 की आर्थिक सहायता होगी जो नये अनुसूची दर पर है। इसपर कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची द्वारा दिनांक 26.10.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। पक्का आवासों का निर्माण मछुआओं की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए एकाउन्ट स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक मछुआओं के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

राज्य सचिव

10

(ख) सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रूप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायगा :

- (i) प्लिंथ स्तर (20%) (ii) छत स्तर (15%)
(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%) (iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

11. जिलावार, शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है—

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-69-वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)

क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य		लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य		लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य		कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	0	0.000	2	3.824	9	17.208	11	21.0320
2	गुमला	0	0.000	2	3.824	5	9.560	7	13.3840
3	सिमडेगा	0	0.000	5	9.560	5	9.560	10	19.1200
4	लोहरदगा	0	0.000	2	3.824	5	9.560	7	13.3840
5	प० सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	5	9.560	5	9.5600
6	दुमका	0	0.000	5	9.560	25	47.800	30	57.3600
7	पाकुड़	0	0.000	2	3.824	15	28.680	17	32.5040
8	साहेबगंज	0	0.000	2	3.824	15	28.680	17	32.5040
9	कोडरमा	15	28.680	3	5.736	0	0.000	18	34.4160
10	देवघर	46	87.952	8	15.296	0	0.000	54	103.2480
11	धनबाद	10	19.120	2	3.824	0	0.000	12	22.9440
12	गिरिडीह	10	19.120	2	3.824	0	0.000	12	22.9440
13	पलामू	20	38.240	3	5.736	0	0.000	23	43.9760
14	गढ़वा	15	28.680	2	3.824	0	0.000	17	32.5040
15	गोड्डा	20	38.240	0	0.000	0	0.000	20	38.2400
योग :		136	260.032	40	76.480	84	160.608	260	497.1200

12. योजना स्थल का चयन, योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।

13. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य

प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जाँच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता-खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम, ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो, अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Website पर भी डालेंगे।

14. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध मो0 600.00 लाख रू0 मात्र में से मो0 578.40 लाख रू0 मात्र का व्यय प्रतिवेदित है।
15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17-04-98 तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना झापांक सी0एस02/आर0-01/2005-301 दिनांक 11.03.2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत हो। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो। साथ ही स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् विभागीय वेबसाइट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)

सरकार के सचिव

झापांक 22/10/2021 / मत्स्य / रॉंची, दिनांक 26/07/24

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक २२.१७.१९०१ / मत्स्य / राँची, दिनांक २६/०७/२४

प्रतिलिपि : जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/संयुक्त मत्स्य निदेशक/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्वीकृत होने वाले आवास निर्माण योजनाओं के साथ इस योजना का दोहरीकरण न हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक २२.१७.१९०१ / मत्स्य / राँची, दिनांक २६/०७/२४

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

सरकार के सचिव

५५१३०० सजीत